<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>
<u>18.09.2026</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने कोलकाता के एसआरईआई समूह से ऋण चूक के मामले में चल रही धन शोधन जांच के संबंध में ओडिशा के एआरएसएस समूह तथा हैदराबाद के एएमआर/एएमआरएल समूह के प्रवर्तकों और संबद्ध संस्थाओं से जुड़े विभिन्न परिसरों पर 11.09.2026 को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 17 के तहत तलाशी अभियान संचालित किया। उक्त तलाशी अभियान के दौरान कुल ₹6.35 करोड़ (लगभग) की परिसंपत्तियां और मूल्यवान वस्तुएं जब्त/फ्रीज की गईं, जिनमें ₹1.50 करोड़ (लगभग) की बैंक शेषराशि, ₹2.90 करोड़ (लगभग) की डीमैट/प्रतिभूति धारिता तथा ₹1.95 करोड़ (लगभग) मूल्य की नकदी और आभूषण शामिल हैं।

जांच का संबंध एसआरईआई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड (एसआईएफएल) और एसआरईआई इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड (एसईएफएल) से दोनों समूहों द्वारा विभिन्न अन्य संस्थाओं के साथ लिए गए धोखाधड़ीपूर्ण/अनियमित ऋणों तथा उसके बाद उक्त ऋणों का पुनर्भुगतान न किए जाने से है, जिसमें संदिग्ध रूप से ऋणों की अनवरतता (एवरग्रीनिंग), निधियों का विपथन/राउंड-ट्रिपिंग तथा अन्य अनियमितताएं शामिल हैं। एएमआरएल हाईटेक सिटी लिमिटेड/एएमआरएल समूह और एआरएसएस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड/एआरएसएस समूह द्वारा एसआरईआई से पर्याप्त ऋण सुविधाएं प्राप्त की गई थीं, जो बाद में बकाया रह गईं/चूकग्रस्त हो गईं। पीएमएलए के तहत तलाशी लिए गए उपर्युक्त समूहों के संबंध में कुल ₹1,111 करोड़ की राशि बकाया है।

तलाशी अभियान के दौरान विभिन्न डिजिटल उपकरण, लेखा बहियाँ, चल/अचल संपत्तियां तथा अन्य संबंधित अभिलेख/दस्तावेज भी विस्तृत जांच के

लिए जब्त किए गए हैं। तलाशी कार्रवाई से संबंधित संस्थाओं और व्यक्तियों के वित्तीय लेन-देन तथा परिसंपत्ति स्थिति से संबंधित महत्वपूर्ण सामग्री प्राप्त हुई है।

आगे की जांच जारी है।
